

फा. सं. 2-2(48)/2016-सा.-II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

निविदा आमंत्रण सूचना

सेवा में

.....
.....
.....
.....

प्रिय महोदय,

विद्यमान हिताची 5 टी बी एस ए एन / यूनिफाईड स्टोरेज सिस्टम (मॉडल नं. एच यू एस-130) से 10 टी बी स्टोरेज क्षमता के उन्नयन के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम)/ ओ ई एम के प्राधिकृत डीलरों / आपूर्तिकर्ताओं / चैनल पार्टनरों से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं । तकनीकी विनिर्दिष्टताएं और कार्य क्षेत्र इस दस्तावेज़ के अनुबंध-1क एवं अनुबंध-1ख में निर्दिष्ट किया गया है । मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी ।

निविदा दस्तावेज़ आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सी पी पी पोर्टल साइट <https://eprocure.gov.in> / [eprocure](http://eprocure.gov.in) / [app](http://app.eprocure.gov.in) से क्रिटिकल डेट शीट में दिए गए कार्यक्रम अनुसार निम्नानुसार डाउन लोड की जा सकती है :-

क्रिटिकल डेट शीट

सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	02. 08. 2017
दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने की तारीख	02. 08. 2017
दस्तावेज डाउनलोड करने की समाप्ति की तारीख	14. 08. 2017
बोली दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के शुरू होने की तारीख	02. 08. 2017
ऑन लाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख एवं समय	14. 08. 2017
तकनीकी बोली को खोलने की तारीख एवं समय	16. 08. 2017
जमा धरोहर राशि (ई एम डी)	15,000/- (पन्द्रह हजार रूपए)

बोलियां केवल ऑन लाइन सी पी पी पी की वेब साइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर प्रस्तुत की जाएगी।

निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल सीपीपीपी पर <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता के लिए अनुदेशों में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेजों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. बोलियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

बोलियां केवल केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रापण) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

निविदा दो भागों में अर्थात् तकनीकी बोली और बोली मूल्य में ऑन लाइन प्रस्तुत की जाएगी।

95

प्रस्तुत किए जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ, दस्तावेजों के विषय वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए दस्तावेजों को अपलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर तथा क्रमिक रूप से संख्या दी जानी चाहिए। टेलीग्राम / फैंक्स / ई-मेल तथा अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। 15,000/-रु. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की मूल लिखत की हार्ड प्रति जो डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर के रूप में सचिव, सं. लो. से. आ. को देय हो क्रिटिकल डेट शीट में यथावर्णित ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने की तारीख तथा समय पर या उससे पहले सं. लो. से. आ. में सुपुर्द करनी होगी।

(i) **तकनीकी बोली:**

बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

- (क) साक्ष्य के रूप में कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र / निगमन प्रमाण पत्र कि बोलीदाता कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या तो एक लिमिटेड कंपनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है जिनकी कानूनी अस्तित्व है की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति। बोलीदाता को जेवी / संघ, स्वामित्व या साझेदार फर्म के रूप में होने की अनुमति नहीं है।
- (ख) पैन कार्ड की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति।
- (ग) 15,000 रु. की जमा धरोहर राशि की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति।
- (घ) आई एस ओ प्रमाणन की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति।
- (ङ) मूल उपकरण निर्माता से प्राप्त प्राधिकार की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति।
- (च) वर्ष 2015-2016 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रतियां।
- (छ) वर्ष 2015-2016 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की गई तुलन पत्रों की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रतियां तथा चार्टरित लेखाकार (सी ए) से प्राप्त प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो विगत प्रत्येक तीन वर्षों का वार्षिक कारोबार 30 लाख रुपए है से संबंधित समर्थित दस्तावेज।
- (ज) उन संगठनों की सूची की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां सहित अलग संगठन के साथ कम से कम दो कार्य आदेश / क्रय आदेश की प्रतियां जहां फर्म उसी प्रकार का कार्य निष्पादित किया है या कर रहा है तथा पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान संबंधित संगठन से प्राप्त संपूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न की जाए।
- (झ) अनुबंध-II पर दी गई तकनीकी अनुपालन विवरण की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति।
- (ञ) अनुबंध-III पर दी गई अपेक्षित प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति।
- (ट) अनुबंध-IV पर दी गई अपेक्षित प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति।
- (ठ) विधिवत रूप से भरी हुई जांच सूची (अनुबंध-VI) की हस्ताक्षरित तथा स्कैन्ड प्रति।

(ii) बोली मूल्य

बोली मूल्य की अनुसूची केवल निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बोलीदाता को मूल्य अनुसूची (अनुबंध-V) के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में दर को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना होगा। कर रहित करों को उद्धृत करना चाहिए। दर के साथ करों को अलग से उद्धृत किया जाएगा।

2. जमा धरोहर राशि:-

निविदा के साथ 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रूपए मात्र) की जमा धरोहर राशि अनिवार्य रूप से जमा करना अपेक्षित है। ज. धरो. रा. सचिव सं. लो. से. आ. के पक्ष में दिल्ली / नई में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर के रूप में जमा की जाएगी, इसके असफल होने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। केन्द्रीय भंडार, एन सी सी एफ, एन एस आई सी / डी जी एस एण्ड डी तथा किसी अन्य संगठन के साथ पंजीकृत फर्म को नियमों के अंतर्गत दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है। अन्य बोलीदाताओं के लिए उपर्युक्त यथावर्णित निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- (i) जमा धरोहर राशि बोली की वैधता अवधि से परे न्यूनतम 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि से लिए वैध रहेगी।
- (ii) ज.धरो.रा. का स्कैन किया जाएगा और निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि के भीतर ई-टेन्डरिंग वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और मूल सं.लो. से. आ. में जमा की जानी चाहिए।
- (iii) निविदा को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के बाद असफल बोलीदाताओं के जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सं. लो. से. आ. द्वारा ज. धो. रा. पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

3. निष्पादन गारन्टी :-

सफल बोलीदाता को क्रय आदेश के मूल्य का 5% की छूट से एस ए एन यूनिफाईड स्टोरेज सिस्टम के लिए निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। निष्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफ्ट पे आर्डर / बैंक गारंटी के रूप में होगी जो सचिव, सं. लो. से. आ. के पक्ष में दिल्ली देय हो, इस क्रय आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर सं. लो. से. आ. को प्रस्तुत करनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति सभी

०१

संविदात्मक दायित्वों के पूरे होने तक नब्बे दिनों के लिए वैध रहेगी। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि तकनीकी विनिर्दिष्टताओं / कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्यपूरा नहीं किए जाने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति को जब्त किया जा सकता है। यह निर्धारित क्षति / शास्ति, यदि कोई हो, जिसे इस निबंधन एवं शर्तों में शास्ति के रूप में अधिरोपित की जा सकती है के अलावा होगा। सफल बोलीदाताओं को निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज सं. लो. से. आ. द्वारा देय नहीं होगा।

पात्रता मानदंड:

4. बोलीदाता को अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या तो लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कानूनी रूप में वैध अस्तित्व में होना चाहिए। बोलीदाता को जे वी / संघ, स्वामकत्व या साझेदार के रूप में होने की अनुमति नहीं है। बोलीदाता की कंपनी वैधता के समर्थन में साक्ष्य अर्थात् कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र / निगमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. बोलीदाता को मूल उपकरण निर्माता (मू.उ.नि.) / ओ ई एम का प्राधिकृत डीलर / आपूर्तिकर्ता / वितरक / चैनल पार्टनर होना चाहिए जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो। बोलीदाता को ओ ई एम से प्राप्त प्राधिकार प्रस्तुत करना होगा।

6. बोलीदाता के पास अनुबंध- Iख में यथावर्णित विनिर्दिष्टताओं सहित पांच वर्षों के लिए सरकारी संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एस ए एन / यूनिफाईड स्टोरेज सिस्टम के उन्नयन में अनुभव होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ प्रत्येक अलग-अलग संगठन के कम से कम दो कार्य आदेशों / क्रय आदेशों सहित उन संगठनों की सूची जहां फर्म ने उसी प्रकार का कार्य निष्पादित किया है और पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान संतोषजनक कार्य संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न की जाए।

7. फर्म को कम से कम 7 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ पंजीकरण/ निगमन प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से निगमन की तारीख का उल्लेख किया गया हो, के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए।

8. फर्म का वार्षिक कारोबार न्यूनतम 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष रहा हो। इस संबंध में बोलीदाता को वर्ष 2015-2016 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की गई तुलन-पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी और चार्टरित लेखाकार (सी ए) से प्राप्त प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से विगत तीन वित्तीय वर्षों का वार्षिक कारोबार का उल्लेख किया गया हो।

9. बोलीदाता को एक आई एस ओ 9001: 2008 सर्टिफाइड कंपनी होना चाहिए । तकनीकी बोली के साथ दस्तावेज़ीय साक्ष्य संलग्न करना होगा ।

अन्य निबंधन एवं शर्तें:

10. दरों के साथ करों को अलग से उद्धृत किया जाएगा । वे बोलीदाता जो कर की दरों को अलग से उद्धृत नहीं करते हैं उन्हें अनुक्रियात्मक नहीं माना जाएगा और उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

11. आयकर:

यथा लागू बिलों के आधार पर वसूली योग्य। बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना होगा । उन्हें अनुबंध-III पर दिए गए अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय / संपत्ति छुपाने के लिए दंडित या दोषी नहीं पाया गया है ।

12. **बोली का मूल्यांकन:** बोली का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए गठित निविदा मूल्यांकन समिति (नि.मू.स.) द्वारा की जाएगी । तकनीकी बोली का मूल्यांकन इस निविदा दस्तावेज़ों में यथावर्णित पात्रता शर्तों तथा व्यावसायिक शर्तों सहित अनुपालन कार्य क्षेत्र एवं तकनीकी विनिर्दिष्टताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा । केवल तकनीकी व्यावसायिक अनुक्रियात्मक बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को खोला जाएगा जिनकी तकनीकी बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है । एल- I बोलीदाता का निर्धारण बोली प्रस्तुत करने के समय यथालागू कर सहित इकाई मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

13. **वारंटी :** सू.प्र.स्कंध द्वारा यथा प्रमाणित प्रणाली के उन्नयन के पूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष के लिए हार्डवेयर वारंटी एवं समर्थन।

14. **सुपुर्दगी / समय सीमा:** सफल बोलीदाताओं को क्रय आदेश के जारी होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर एस ए एन / यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम के उन्नयन संबंधी कार्य को पूरा करना होगा । इसमें एस ए एन प्रणाली के उन्नयन के केबल सहित विद्यमान स्टोरेज प्रणाली और अपेक्षित सहायक सामग्री की आपूर्ति के साथ आपूर्ति, अधिष्ठापन तथा विस्तारित डिस्क/स्टोरेज का संरूपण शामिल होगा ।

15. निर्धारित क्षति / शास्ति: यदि फर्म संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो फर्म पर देरी की गई माल के लिए 0.5% प्रतिदिन की दर से निर्धारित क्षति अधिरोपित की जाएगी जो कुल संविदा मूल्य का 10% के अध्यक्षीन होगा तथा इसकी कटौती संबंधित बिल से की जाएगी। 20 दिन से अधिक देरी की स्थिति में, संघ लोक सेवा आयोग कार्य आदेश को निरस्त कर सकता है तथा फर्म के निष्पादन प्रतिभूति की ऐसी धन राशि या पूरी धन राशि जो उचित समझा जाए को जब्त कर सकता है, इसके अतिरिक्त बोलीदाता के जोखिम और लागत पर किसी अन्य स्रोत से सेवा प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में सचिव, सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

16. भुगतान शर्तें:

- (क) एस ए एन / यूनिफाईड स्टोरेज सिसटम के उन्नयन संबंधी कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा आयोग के सू.प्र. स्कंध द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के पश्चात 90% भुगतान किया जाएगा।
- (ख) एस ए एन / यूनिफाईड स्टोरेज सिसटम के उन्नयन संबंधी कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के एक वर्ष बाद तथा आयोग के सू.प्र. स्कंध द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के पश्चात शेष 10% भुगतान किया जाएगा।

17. जोखिम क्रय खंड:

यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद बोली दस्तावेजों / नि.आ.सू. की निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और/ अथवा नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है तब सं.लो.से.आ. के पास जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और परिणाम पर अन्य फर्म द्वारा कार्य कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म की बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों के साथ फर्म से की जाएगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से सामग्री / सेवाएं प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है तो ऐसी जारी सामग्री / सेवाओं की लागत कम होने पर इस मुद्दे पर कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा।

18. मध्यस्थता

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी निर्णय, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा।

19. क्षेत्राधिकार

मध्यस्थता के अध्यक्षीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और अब से दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

20. अनिवार्य बाध्यता:

संघ लोक सेवा आयोग अथवा बोलीदाता जैसा भी मामला हो, संविदात्मक दायित्वोंको पूरा करने में किसी विफलता अथवा चूक अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण और नियंत्रण से परे कारण जैसे, सिविल हड़ताल, तालाबन्दी, दंगे, सिविल वार आदि के कारण इसके कार्य के निष्पादन में विलंब के मामलों में ऐसी चूक, विफलता अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और निष्पादन के अपने सम्बद्ध दायित्वों से मुक्त होंगे, बशर्ते या तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना होने के 21 दिनों के भीतर सूचना दे देता है। कोई भी पार्टी जब भी अनिवार्य बाध्यता के लिए नोटिस देता है तो उन्हें किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या चैम्बर ऑफ कार्मस से प्रमाण-पत्र के रूप में ऐसी घटना की पुष्टि करनी होगी। पार्टियों को उनकी संबंधित बाध्यताओं से मुक्त किया जाएगा कि उनमें अनिवार्य बाध्यता की घटना से उनका निष्पादन कुछ हद तक प्रभावित होता है बशर्ते कि उपर्युक्त नोटिस दी गई है और उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य बाध्यता की घटना प्रचलित है। तथापि, यदि संविदा के निष्पादन के लिए हड़ताल, तालाबन्दी आदि जो 60 दिनों से अधिक है को छिपाया जाता है तो सं.लो.से.आ. संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. सं.लो.से.आ. बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इस संबंध में सचिव, सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
22. तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से बोली 180 दिनों के लिए वैध रहेगी ।
23. कार्यालय के घंटों के दौरान इस निविदा से संबंधित किसी प्रकार की पूछ-ताछ के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नं. -011-23381141 से संपर्क कर सकते हैं ।
24. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(आर. के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामा.-II)

अनुबंध-1ककार्य क्षेत्र

आयोग के उपयोग के लिए तीन वर्षों की वारंटी सहित वर्ष 2015 में 5 टी बी यूनिफाईड स्टोरेज/ एस ए एन स्टोरेज (हिताची मेक एच यू एस 130) का प्रापण किया गया था । विद्यमान यूनिफाईड स्टोरेज/ एस ए एन को रूडेन्डेट ऐरे ऑफ इंडिपेन्डेंट डिस्क (आर ए आई डी) -5 स्तर पर संरूपित किया गया है । फर्म को निम्नलिखित कार्यात्मक के साथ विद्यमान 5 टी बी एस ए एन से 10 टी बी एस ए एन के उन्नयन को सुनिश्चित करना होगा :-

1. संरूपण एवं प्रतिभूति नीतियों सहित उपलब्ध एल ए एन सेटअप के साथ हार्डवेयर अर्थात एच क्यू एस 130 स्टोरेज (एस ए एन) का अधिष्ठापन एवं संरूपण ।
2. हिताची डेटा प्रणाली (एच डी एस) बिल ऑफ क्वान्टिटी (बी ओ क्यू) के अनुसार स्टोरेज के लिए लाईसेंस को अधिष्ठापित एवं संरूपित करना ।
3. एस ए एन को विद्यमान आर ए आई डी -5 स्तर सहित संरूपित किया जाना चाहिए ।
4. एस ए एन की पहुंच नेटवर्क संचालन स्टोरेज (एन ए एस) के जरिए भी होनी चाहिए ।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आयोजित करना कि हॉस्ट-टू-एल यू एन (लाजिकल यूनिट नंबर) ऐसेस डिजाइन / लेआउट के अनुसार कार्यान्वित किया गया ।
6. आधारभूत कार्यात्मक एवं परीक्षण आयोजित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टोरेज अपेक्षाओं के अनुसार अपग्रेड किया गया है ।
7. वेंडर द्वारा मूल वारंटी, निबंधन एवं शर्तों किसी भी प्रकार से उल्लंघन न होने की जिम्मेदारी ली जानी चाहिए ।
8. वेंडर द्वारा एस ए एन प्रणाली के उन्नयन के लिए केबल सहित सभी अपेक्षित सहायकसामग्री को मुहैया कराया जाना चाहिए ।

अनुबंध-1ख

5 बी टी एस ए एन द्वारा विद्यमान स्टोरेज के विस्तार के लिए संभावित एस ओ आर / तकनीकी विनिर्दिष्टताएं

क्रम सं.	उत्पाद का विवरण	उत्पाद कोड	मात्रा
1.	एच यू एस 130/150 फाइल माइयुल 4040 एस डब्ल्यू एल आई सी आई टी बी लाईसेंस 'यूनिट में शामिल मूल्य'	044-231393-03 पी	6
2.	एस एफ एफ (2 यू) ट्रे के लिए डमी ड्राईव	3282382-001.पी	9
3.	एच यू एस 900 जी बी एस ए एस 10 के सी बी एस / डी बी एस - उन्नयन के लिए आर पी एम एच डी डी एस एफ एफ	डी एफ- एफ 850-9 एच जी एस एस यू. पी	9
4.	एच यू एस अपगेड अधिष्ठापन	043-992092-01.पी	1
5.	एक वर्ष के लिए हार्डवेयर वारंटी एवं समर्थन	ऑन साइट सेवा एवं समर्थन	-
6.	सफल संरूपण / शुरुआत / उन्नयन आदि के लिए कोई अन्य अपेक्षित मद	यथा लागू	यथा लागू

अनुबंध -IIकार्य क्षेत्र के संदर्भ में तकनीकी अनुपालन विवरणी

क्रम सं.	तकनीकी विवरण	अनुपालन हां/नहीं	पृष्ठ सं.	अभियुक्तियां*
1.	कृपया नि.आ.सू. के कार्य क्षेत्र एवं अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में बोलीदाता द्वारा की गई सुपुर्दगी की स्वीकार्यता एवं समझ की पुष्टि करें ।			
2.	बोलीदाता ने पृष्ठ दर पृष्ठ ओ ई एम एम ए एफ (निर्माता प्राधिकार प्रपत्र) की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति मुहैया कराई है ।			
3.	कृपया पुष्टि करें कि फर्म कम्प्यूटर की मदों के अनुरक्षण समर्थन मुहैया कराने के लिए आई एस ओ प्रमाणित है ।			
4.	कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि निविदा दस्तावेज की शर्तों के संदर्भ में कार्य क्षेत्र में कोई विचलन है ।			

टिप्पणी - 1 : अनुपालन कॉलम में सभी बोलीदाताओं को हां या नहीं लिखना अपेक्षित है । उन्हें तकनीकी बोली में विस्तार में स्पष्ट रूप से वर्णित करना अपेक्षित है कि निविदा बोली में वर्णित तकनीकी कार्यक्षेत्र के अनुपालन योजना कैसे तैयार की है । उन्हें पृष्ठ संख्या का भी वर्णन करना अपेक्षित है जहाँ उन्होंने सभी 4 बिन्दुओं को निर्दिष्ट किया है ।

टिप्पणी - 2 : *विचलन, यदि कोई हो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ।

अनुबंध-III**विद्यमान हिताची 5 टी बी एस ए एन / यूनिफाईड स्टोरेज सिस्टम के उन्नयन के लिए बोली आमंत्रण**

आपके दिनांक की निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में हमने (फर्म का नाम एवं पता) संघ लोक सेवा आयोग में अधिष्ठापित विद्यमान हिताची 5 टी बी एस ए एन / यूनिफाईड स्टोरेज सिस्टम के उन्नयन के लिए बोली आमंत्रण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:-

1. कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं ।
2. कि हम नि.आ.सू. में निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्दिष्टताओं / कार्य क्षेत्र को पूरी तरह समझते हैं और हमारी बोली पूर्णतः कार्य क्षेत्र के अनुसार है ।
3. कि मुझे / हम लोगो को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय / धन को छिपाने के लिए दंडित न ही किया गया है और न ही दोषी पाया गया है ।
4. कि मुझे / हम लोगों को किसी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम और पता

घोषणा

मैं सुपुत्र/ सुपुत्री
श्री.....एतद्वारा घोषणा
करता हूं / करती हूं कि मेरा कोई भी संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) नई दिल्ली
में कार्यरत नहीं है । यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई
जानकारी असत्य/ गलत है तो सं. लो. से. आ. को मुझे कोई पूर्व सूचना दिए बिना उचित
समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

दिनांक :.....

(फर्म की मुहर सहित बोलीदाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर)

अनुबंध-Vमूल्य अनुसूची

क्रम सं.	विवरण	मात्रा	इकाई मूल्य (रु. में)	बोली प्रस्तुत करने की तारीख को लागू कर	कुल मूल्य
1.	सभी अपेक्षित पार्टस, साफ्टवेयर लाईसेंस एकीकरण एक वर्ष की वारंटी ऑनसाइट सर्विस एवं समर्थन आदि सहित विद्यमान हिताची एस ए एन / यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम मॉडल न. एच यू एस 130 विद्यमान 5 टी बी से 10 टी बी क्षमता का उन्नयन	1			

टिप्पणी:

1. एल- 1 बोलीदाता का निर्णय यथा लागू कर सहित इकाई मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।
2. बोलीदाता को प्रणाली उन्नयन के लिए आपूर्ति की जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक मदों के लिए विस्तृत सामग्री का बिल (बी ओ एम) मुहैया कराना होगा । इसमें मद का नाम, पार्ट सं./ कोड, मात्रा, इकाई मूल्य, कर तथा कुल मूल्य शामिल है । अनुबंध-I ख में निर्दिष्ट एस ओ आर केवल सूचनात्मक है । निविदा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एस ओ आर के पूर्ण प्रस्ताव की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी ।
3. स्टोरेज के सफल उन्नयन के लिए अपेक्षित कोई सामग्री, साफ्टवेयर या हार्डवेयर जो बी ओ एम में वर्णित नहीं है को बोलीदाता द्वारा बिना किसी लागत के मुहैया कराना होगा ।

अनुबंध-Vजांच सूची

क्र. सं.	विवरण	हां/ नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क्या कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र / निगमन प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति को संलग्न किया है।		
2.	क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है।		
3.	क्या 15,000/- रु. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है ।		
4.	क्या आई एस ओ प्रमाणन की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है।		
5.	क्या ओ ई एम से प्राप्त प्राधिकार की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है।		
6.	क्या वर्ष 2015-16 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है।		
7.	क्या 2015-16 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की गई तुलन पत्रों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है तथा चार्टरित लेखाकार (सी ए) से प्राप्त प्रमाण पत्र जिसमें विगत प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष का वार्षिक कारोबार का उल्लेख किया गया है।		
8.	क्या प्रत्येक अलग-अलग संगठन के कम से कम दो कार्य आदेशों/ क्रय आदेशों सहित उन सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सूची जहां फर्म ने उसी प्रकार का कार्य निष्पादित किया है या कर रहा है तथा पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान संतोषजनक कार्य संबंधी प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है।		
9.	क्या अनुबंध-II में दी गई तकनीकी अनुपालन विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है ।		
10.	क्या अनुबंध-III की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है ।		
11.	क्या अनुबंध-IV में दी गई घोषणा की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड प्रति संलग्न की गई है ।		

(फर्म का प्राधिकृत नाम और पता)
दूरभाष सं. / मोबाईल सं. / फैक्स सं.

ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण:

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) (सीपीपीपीपोर्टल) पर "ऑन लाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट" के लिंक पर क्लिक करके जो प्रभार रहित है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है।
2. इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा।
3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें। इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
4. इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने -अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात् सीफी / टी सी एस / एन काड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी-II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा।

- 110
5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरुपयोग कर सकता है ।
 6. बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से आना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन का पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

निविदा दस्तावेज की खोज:

- 1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद हैं, विभिन्न प्राचलों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन प्राचलों में निविदा आई डी, संगठन का नाम अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे । निविदा की उन्नत खोज के लिए एक और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज प्राचलों की संख्या जैसे संगठन का नाम, निविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए शामिल कर सकते हैं ।
- 2) अपनी रुचिकी निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं । यह सी पी पी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी देने की क्षमता प्रदान करेगा ।
- 3) बोली को प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते हैं ।

बोली को तैयार करना:

- 1) अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।
- 2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज अपेक्षित हैं । कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज जिन्हें

111

प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

- 3) बोलीदाता को अग्रिम में बोली दस्तावेज अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी पी फॉर्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेजों श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।
- 4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेजों का अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेजों (अर्थात् पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है जो बोलीदाताओं को मुहैया कराई गई है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता “माई स्पेस” या “अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज” वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे “माई स्पेस” पर प्रस्तुत सकते हैं और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है । यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

बोली को प्रस्तुत करना :

- 1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साईट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दे के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।
- 2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं ।
- 3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए “ऑफ लाईन” भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण के विवरण को प्रविष्ट करना होगा ।

- 4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथा निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज में यथावर्णित तारीख तक भेजी जानी चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फॉर्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली को जमा किया है तथा कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज के साथ मानक बी ओ क्यू फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड करने और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए। बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है इसे खोले और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंगकी (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन लाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बी ओ क्यूफाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाए जाते हैं तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डेश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।
- 7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिक के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है। कोई बोली दस्तावेज जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है जो क्रमिक कुजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन

है । इसके अतिरिक्त यह कुंजी एसमैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाले सार्वजनिक कुंजी के अध्यक्षीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदाके खोलने के बाद ही केवल पठनीय होगा।

- 8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होगा ।
- 9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रिज बिक सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।
- 10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती के रूप में इसे रख लें । इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

बोलीदाताओं को सहायता

- 1) निविदा दस्तावेज़ उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछ ताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।
- 2) ऑन लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछ ताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ ताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है । बोलीदाता +917878007972 एवं + 91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं ।